कार्यालय, नगर पालिक निगम कोरबा (छत्तीसगढ़)

नगर पालिक निगम कोरबा के विभिन्न भवनों की छत की लीज पर आबंटन करने की विशेष शर्तें

1. नगर पालिक निगम कोरबा द्वारा छत को 30 वर्षीय लीज पर आबंटन किया जावेगा। वह छत का उपयोग उसके ऊपर अधिकतम नगर पालिक निगम द्वारा निर्धारित ऊंचाई तक एक मंजिल निर्माण कार्य हेतु ही कर सकेगा।
2. छत के लीज ग्रहीता को छत के तथा पूर्व निर्मित भवन में किसी प्रकार का तोड़–फोड़ अथवा परिवर्तन का कोई अधिकार नहीं होगा।
3. लीज ग्रहीता द्वारा छत पर जो निर्माण कार्य किया जावेगा उसकी निर्माण अनुमति नगर पालिक निगम से लेनी होगी तथा निर्माण कार्य का बाह्य आकार नगर पालिक निगम द्वारा स्वीकृत इलेवेशन के अनुरूप रखना अनिवार्य होगा। आंतरिक निर्माण निगम के सहायक यंत्री के तकनीकी मार्गदर्शन तथा वर्तमान भवन में निर्धारित मापदण्ड के अनुरूप करना होगा।
4. लीज ग्रहीता को छत पर निर्मित भवन में किये जाने वाले व्यवसाय अथवा उपयोग की पूर्व सूचना नगर पालिक निगम कोरबा को देनी होगी तथा निगम द्वारा निर्धारित क्षमता से अधिक भार की सामग्री उक्त भवन में रखने का अधिकारी लीज ग्रहीता को नहीं होगा।
5. लीज ग्रहीता को निर्मित भवन की छत पर उसका कोई अधिकार नहीं होगा तथा नगर पालिक निगम कोरबा द्वारा उक्त भवन की छत का उपयोग स्वयं किया जा सकेगा अथवा उसका आबंटन निगम द्वारा किसी अन्य को किया जा सकेगा।
6. नगर पालिक निगम कोरबा द्वारा नवनिर्मित भवन की छत का आबंटन जिन हितग्राहियों को किया जावेगा उनके लिए सीढ़ी एवं कामन पैसेज जो निर्धारित किया जावेगा उसका ही उपयोग समस्त छत के लीज ग्रहिता को सामान्य रूप से करने का अधिकार रहेगा। अर्थात उस पर किसी लीजी का निजी हक नहीं होगा तथा इसके लिये छत आबंटितियों को कामन सर्विसेज के लिये एक अनुबंध का संपादन भी करना होगा।
7. आबंटितियों को निर्धारित मासिक किराया नगर पालिक निगम कोरबा में प्रत्येक माह के 07 तारीख तक अग्रिम में जमा करना होगा। अन्यथा प्रतिदिवस रूपये 2/– की दर से विलम्ब शुल्क जमा करना होगा एवं समस्त नगर पालिका निगम के कर आदि का भुगतान करना होगा।
8. छत पर किये जाने वाले समस्त निर्माण कार्य नगर पालिक निगम कोरबा की पूर्व स्वीकृति अनुसार ही होंगे तथा छत की ऊंचाई का लेवल एक ही ऊंचाई का रखना अनिवार्य होगा।
9. छत का निर्धारित प्रीमियम राशि आबंटन स्वीकृत होने के 30 दिवस के भीतर जमा करना होगा एवं स्वयं के व्यय पर इकरारनामा/पंजीयन संपादन कराना होगा।
10. छत की लीज अवधि 30 वर्ष की होगा। लीज का नवीनीकरण संशोधित किराया व इकरारनामा पर नगर पालिक निगम द्वारा किया जा सकेगा अथवा लीज अवधि समाप्ति पर आबंटन निरस्त कर निर्मित दत भवन का रिक्त आधिपत्य लिया जा सकेगा।

क्रमशः.........2/.

UPLOAD
(Yadav/Pm5/Share)

11. लीज अवधि में प्रत्येक 03 वर्ष पश्चात किराया में 15 प्रतिशत की वृद्धि की जावेगी। लीज समाप्ति पर नवीनीकरण करने की स्थिति में नगर पालिक निगम द्वारा तत्समय देय किराया में 50 प्रतिशत तक वृद्धि की जा सकेगी तथा शर्तो में आवश्यकतानुसार संशोधन किया जा सकेगा।
12. छत को लीज ग्रहिता द्वारा किसी अन्य को किराये अथवा उप पट्टेदारी आदि पर नहीं दिया जावेगा। नाम परिवर्तन का इच्छुक होने पर लीज ग्रहिता को निगम में रूपये 50,000/- जमा करना होगा, जिस पर विचार किया जाकर नामांतरण किया जा सकेगा।
13. दुकान में साज सज्जा, विद्युत संयोजन आदि की व्यवस्था लीज ग्रहिता द्वारा अपने स्वयं के व्यय से करना होगा।
14. छत का आबंटन स्वीकृत होने के उपरांत आबंटिति द्वारा किसी कारणवश छत को न लेने की स्थिति में कुल प्रीमियम राशि का 50 प्रतिशत राजसात कर आबंटन निरस्त किया जा सकेगा एवं आबंटिति को किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार नहीं होगा।
15. नगर पालिक निगम कोरबा द्वारा समय समय पर इस हेतु बनाये गये समस्त नियम-उप नियम लीजी पर लागू होंगे तथा उनका पूर्ण रूपेण पालन करना अनिवार्य होगा।
16. उपरोक्त के संबंध में कोई विवाद होने पर उसका निराकरण पंच फैसले अनुसार होगा एवं इस हेतु प्रशासक/महापौर, नगर पालिक निगम कोरबा अथवा उनके द्वारा नियुक्त व्यक्ति का निर्णय ही अंतिम एवं मान्य होगा।

सम्पदा अधिकारी,
नगर पालिक निगम,
कोरबा (छ.ग.)

(Yadav/Pm5/Snane)